

foHkx dk uke & lk; Mu foHkx ] ftyk lk; Mu fodkl vf/kdkjh] : nã z; kxA

सम्पर्क नम्बर — 01364 233995

ई-मेल — रचअंत्रतचह/तमकपाडिंपसण्ववउ

I uk vf/kdkj vf/kfu; e& 2005 I s I Ecfll/kr vf/kdkdkfj; kã dk foj .k &

क्र०सं०	नाम	पदनाम	सम्पर्क नम्बर/फैक्स
1	—	सहायक लोक सूचना अधिकारी	—
2	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग ।	लोक सूचना अधिकारी	01364 233995
3	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।	अपीलीय अधिकारी	01364 233300 फ़ैक्स 233380

foHkxh; LVkQ %vf/kdkjh@depkj h% dk foj .k &

क्र०सं०	पदनाम	आवंटित कार्य	सम्पर्क नम्बर/फैक्स
1	2	3	4
1	जिला साहसिक खेल अधिकारी/प्रभारी जिला पर्यटन विकास अधिकारी ।	षासकीय एवं प्रषानिक कार्यों का सम्पादन ।	01364 233995
2	प्रवर सहायक	कार्यालय षासकीय कार्यों का सम्पादन ।	9897447252
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	कम्प्यूटर एवं समस्त पत्र लेखन का कार्य ।	—

foHkkx }kjk I pfkyr ; kst ukvka dk I f{klr foj.k &

क्र०सं०	जन कल्याणकारी योजना का नाम	पात्रता की शर्तें	देय लाभ	बांछित प्रपत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने हैं।	आवेदन जमा करने वाले नोडल अधिकारी का नाम व पता	अन्य अभ्युक्ति
1	ohj plnz fl g x<okyh lk; Mu Loj kst xkj ; kst ukA ; kst uk ds vo; o & 1.बस/टैक्सी परिवहन सुविधाओं का विकास। 2.मोटर वर्कषाप/गैराजों की स्थापना। 3.छोटी-मोटी मोटेलनुमा 8-10 कक्षीय आवासीय सुविधाओं की स्थापना। 4.टेन्टेज आवासीय सुविधाओं की स्थापना। 5.फास्ट-फूड सेन्टर्स की स्थापना। 6.पी० सी० ओ० सुविधायुक्त पर्यटन सूचना केन्द्र रेस्टोरेन्ट की स्थापना। 7.स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय	1. उत्तराखण्ड का मूल निवासी। 2. किसी भी बैंक संस्था से ऋण नहीं लिया गया हो व ना ही डिफाल्टर हो। 3. सरकार द्वारा संचालित किसी भी अनुदान प्राप्त योजना का लाभ न लिया गया हो। 4. इच्छुक व्यक्ति बेरोजगार हो व उत्तराखण्ड के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो। 5. यदि योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि अपेक्षित हो तो भूमि का स्वामी हो अथवा भूमि आवेदक के निकट सम्बन्धी के नाम होने पर भूमि को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में बन्धक स्वरूप स्वीकार्य हो परन्तु भू स्वामी सहऋणी अथवा	रू० 40.00 लाख तक अधिकतम ऋण के सापेक्ष 25: या रू० 10.00 लाख की धनराशि का अनुदान।	1. मूल निवास 2. आय प्रमाण पत्र। 3. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र। 4. आयु प्रमाण पत्र। 5. सेवा योजन कार्यालय का पंजीकरण। 6. योजना की लागत (बिल/कोटेशन/स्टीमेट एवं ब्लू प्रिन्ट नक्शा)। 7. यदि भूमि अपेक्षित है तो भूमि के अभिलेख व फोटोग्राफ्स। 8.रू० 100/-का स्टाम्प। 9. रू० 10/- का स्टाम्प। 10. पर्यटन गतिविधियों से सम्बन्धित अनुभव यदि हो तो। 11. वाहन क्रय हेतु वाहन चालन का व्यवसायिक लाइसेन्स।	जिला पर्यटन विकास अधिकारी।	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना चयन समिति द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार योजना के चयन अथवा अन्य शर्तें लागू की जा सकती हैं। योजना की अध्यक्षता जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में निम्न चयन समिति के सदस्यों की सदस्यता में सम्मन होती है, चयन समिति के नामित सदस्य निम्न प्रकार हैं - 1-जिला पर्यटन विकास अधिकारी-सचिव/सदस्य। 2- महाप्रबन्धक उद्योग - सदस्य। 3- सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी-सदस्य। 4- अग्रणी बैंक प्रबन्धक-सदस्य। 5- नावार्ड का प्रतिनिधि - सदस्य।

	<p>केन्द्र। 8.साहसिक पर्यटन क्रियाकलापों हेतु उपकरणों की व्यवस्था। 9.साधन कुटीर योग/ध्यान केन्द्रों का विकास।</p>	<p>जमानती के रूप में सहभागी हो इस स्थिति में अनुदान की राशि केवल आवेदक को देय होगी। पट्टे की भूमि पर भी आवेदक योजना का लाभ ले सकता है यदि पट्टा विलेख की अवधि ऋण अदायगी की अवधि से अधिक हो।</p>				
--	---	---	--	--	--	--